



सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य परियोजना कार्यालय,

उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद्, विद्याभवन, निशातगंज, लखनऊ-226 007

सेवा में,

समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: नि०का०/एसएसए/सा०नि०का०/3620/2007-08

दिनांक: 17 अक्टूबर, 2007

विषय: स्थानीय प्रधान/प्रधानाध्यापक द्वारा ही निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा, उ०प्र० शासन ने अपने पत्र संख्या 12/पीएसबीई/2007 दिनांक 08 अक्टूबर, 2007 द्वारा अवगत कराया है कि शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि कतिपय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के तहत निर्मित होने वाले प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण कुछ गिने चुने अध्यापकों को ही निर्माण प्रभारी बनाकर कराया जा रहा है जो कि शासकीय नीति के पूर्णतः खिलाफ है। सरकार की निरन्तर यह मंशा रही है कि निर्माण कार्य स्थानीय प्रधान तथा स्थानीय प्रधानाध्यापक द्वारा ही किया जाये ताकि न केवल उनके अन्दर sense of ownership विकसित हो बल्कि स्थानीय समुदाय का सक्रिय सहयोग भी मिले।

बाहर के अध्यापक से यह कार्य कराने पर शासन की मंशा पूरी नहीं होती है। इस सम्बन्ध में आपको पूर्व में भी शासनादेश संख्या मंत्री-128/79-5-2006-129/98 दिनांक 29 सितम्बर, 2006 के परिप्रेक्ष्य में राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक नि०का०/एसएसए/सा०नि०का०/2685/2006-07 दिनांक 11 नवम्बर, 2006 द्वारा विस्तृत निर्देश दिये गये हैं।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि:

- एक अध्यापक से एक ही भवन का निर्माण कार्य कराया जाये।
- किसी भी दशा में बाहर के अध्यापक से निर्माण कार्य न कराया जाये तथा अनिवार्य रूप से निर्माण कार्य की जिम्मेदारी स्थानीय प्रधान/प्रधानाध्यापक को ही सौपी जाये।
- यदि इस वर्ष कार्य किसी बाहर के अध्यापक को आवंटित कर दिया गया है तो उपरोक्त निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में उन्हें अविलम्ब परिवर्तित कर स्थानीय प्रधान व प्रधानाध्यापक/भवन प्रभारी अध्यापक को ही आवंटित कर कार्य सम्पादित कराया जाये।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये। उक्त निर्देशों के उल्लंघन को गम्भीरता से लिया जायेगा।

भवदीय,

(दीपक त्रिवेदी)

राज्य परियोजना निदेशक